भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
http://www.prgi.gov.in

दिनांक: 17 दिसंबर, 2025

2025 की परामर्शिका सं० 50

विषय: प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 के नियम 10 के तहत समाचार पत्रों/ नियतकालिक पत्रिकाओं की प्रतियों का वितरण- प्रेस सेवा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करने के संबंध में।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 के नियम 10 के अनुसार, सभी प्रकाशकों के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. नियम 10(1) के अनुसार, प्रत्येक समाचार पत्र/नियतकालिक पत्रिका के प्रत्येक अंक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को इसके प्रकाशन के 48 घंटे की अवधि के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
2. नियम 10(2) के अनुसार, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रकाशक, पूववर्ती माह के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के लिए, उस संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय में समाचार पत्र/नियतकालिक पत्रिका की भौतिक प्रति प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक वितरित करेगा, जहां यह प्रकाशन मुद्रित/प्रकाशित हुआ हो।
3. **नियम 10(1) के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण का आशय समाचार/नियतकालिक पत्रिका की मुद्रित(भौतिक) स्कैन की गई प्रति से है। प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु पीएनजी, जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ जैसे स्कैन किए गए प्रारूप ही वैध माने जाएंगे।**

सभी प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 के उक्त उपबंधों का अनुपालन करें।

इस परामर्शिका को भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक